तत्काल / फैक्स

संख्या– ०/ /1–11–2008–पि0न0–114 / 2002

प्रेषक,

जी0के0टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 01 जनवरी, 2009

विषयः– आपदा राहत कार्यो को सुदृढ़ करने के लिये पुलिस विभाग द्वारा स्थापित "क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप" (सी0यू0जी0) की प्रीपेड मोबाइल सेवा के विस्तारीकरण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में लगभग प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदायें घटती रहती हैं, जिनके कारण जन–धन आदि की व्यापक हानि होती है और इसका प्रभाव प्रदेश के विकास पर पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुँचाये जाने में दूरे संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं दुरुस्त रखना शासन एवं प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व है।

2– पुलिस विभाग में पूर्व से स्थापित क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप प्रीपेड मोबाइल सेवा का विस्तार किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत अब राजस्व विभाग को भी सी0यू0जी0 की प्रीपेड मोबाइल सेवा से आच्छादित कर दिया गया है ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुलिस एवं राजस्व विभाग का आपस में संपर्क बना रहे तथा आपदा प्रबंधन कार्यो को सुचारु रूप से चलाने में किसी भी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

3– शासन के संबंधित प्राधिकारियों / अधिकारियों के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, अपर मण्डलायुक्तों, मुख्य राजस्व अधिकारियों, जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों (एस0डी0एम0), ए0सी0एम0, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को " क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप " (सी0यू0जी0) की प्रीपेड सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

4– क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) प्रीपेड मोबाइल दूरभाष सेवा की विशेषतायें / उपलब्ध सुविधायें निम्नवत होंगीः–

G D/Ramraj ji

1— प्रत्येक प्रयोक्ता को केवल सिम कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, हैण्डसेट की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी। मण्डलायुक्त अपने कार्यालय एवं उस मण्डल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के अन्तर्गत कार्यरत अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी तथा राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आदि उन अधिकारियों जिन्हें सी0यू0जी0 मोबाइल अनुमन्य है की सूची एवं संख्या के साथ किसी उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी को दिनांक 05.01.2009 को उत्तर प्रदेश सचिवालय के राजस्व अनुभाग–11 में भेजकर नये सिम कार्ड प्राप्त कर लेगें। जिस कर्मचारी/अधिकारी को नये सिम कार्ड लेने हेतु शासन में भेजा जाय, उस कार्मिक का नाम इत्यादि प्रमाणित करके पत्र के साथ शासन को भेजा जाय। नये प्रीपेड मोबाइल सिम कार्ड दिनांक 10.01.2009 तक समस्त जनपदों को उपलब्ध करा दिये जायें ताकि नये प्रीपेड मोबाइल सिम कार्ड को एक्टिवेट कराकर उसका उपयोग दिनांक 15.01.2009 से प्रारंभ किया जा सके। सिम कार्ड के साथ एक सूची भी भेजी जा रही है जिसमें सिम कार्ड के सापेक्ष मोबाइल नम्बर भी लिखा है। इस सूची को राहत की बेवसाइट rahat.up.nic.in पर भी देखा जा सकता है। जिन अधिकारियों को ये सिमकार्ड दिये जायें उनके नाम, पदनाम, सिम कार्ड के नम्बर तथा मोबाइल नम्बर की जनपदवार सूची भी दिनांक 10.01.2009 तक शासन में उपलब्ध करा दी जाय। यह सूची राहत आयुक्त के e-mail relief_commissioner @ yahoo.com पर भी तत्काल भेज दी जाय।

2— सिम कार्ड पदनाम से दिये जायेगें न कि प्रयोक्ता (user) के नाम से सी0यू0जी0 के समस्त मोबाइल धारक मासिक रेण्टल के आधार पर आपस में असीमित समय तक वार्ता कर सकते हैं। नये सिम कार्ड चूँकि प्रीपेड श्रेणी के हैं, अतः सी0यू0जी0 मोबाइल फोन से ग्रुप के बाहर outgoing call "Topup" कराकर की जा सकती है, जिसका प्रबंध स्वयं प्रयोक्ता को अपने स्त्रोंतों से ही करना होगा।

3— समस्त मोबाइल धारकों के उक्त मासिक रेण्ट राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा केन्द्रीय रूप से बी0एस0एन0एल0 को प्राप्त करा दी जायेगी तथा जनपद/इकाईयों द्वारा पृथक से किसी धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4— प्रयोक्ता को क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) के अंदर एक दूसरे से वार्तालाप हेतु मोबाइल नंबर के पूरे 10 अंकों को पूर्व #1 डायल करना होगा, किन्तु ग्रुप के बाहर से यदि कोई

G.O/Rahat.p

डायल करता है तो उसे मात्र 10 अंकों का मोबाइल नंबर ही डायल करना होगा।

5– ग्रुप में शामिल लैण्डलाइन फोन पर वार्ता/फैक्स हेतु एस0टी0डी0 कोड के प्रारंभ में 0 के स्थान पर सी0यू0जी0 कोड #1 लगाकर शेष एस0टी0डी0 कोड व लैण्डलाइन फोन से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन पर #1 के बाद मोबाइल नंबर के पूरे 10 अंक (945440XXXX)मिलाने पर वार्ता की जा सकती है।

6– कालकान्फ्रेसिंग के लिये पहला नम्बर डायल कर कनेक्ट हो, वार्ता के दौरान ही दूसरा नम्बर डायल कर कनेक्ट हों, तत्पश्चात् आप्शन मीनू पर जाकर कान्फ्रेसिंग चयन करें। इस प्रकार तीन प्रयोक्ताओं से एक साथ वार्ता सम्भव हो जायेगी। इसी प्रकार अधिकतम 6 प्रयोक्ताओं से कालकान्फ्रेसिंग सम्भव है।

7– एसएमएस भेजने के लिये कृपया प्राप्तकर्ता के मोबाइल नम्बर से पहले #1 का प्रयोग करें।

8– प्रयोक्ता (user) के स्थानान्तरण की दशा में सिमकार्ड प्रभार लेने वाले अधिकारी को तत्काल लिखित रूप से हस्तान्तरित कराकर प्राप्ति रसीद कार्यमुक्त प्रयोक्ता को अपने पास रखनी होगी, इसके बिना उनको अदेयता प्रमाण–पत्र जारी नहीं होगा। यदि कार्यमुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिस्थानी उपलब्ध नहीं है तो सिमकार्ड अपने से वरिष्ठ अधिकारी को लिखित रूप से हस्तान्तरित करना होगा। प्रतिस्थानी के प्रभार ग्रहण करते समय सिमर्काड उन्हें लिखित रूप से प्राप्त कराया जायेगा एवं प्राप्ति की रसीद कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

9– मण्डलायुक्त स्थानान्तरण होने पर प्रतिस्थानी के उपलब्ध न होने की दशा में सिमकार्ड अपर आयुक्त को लिखित रूप से उपलब्ध करा देगें एवं अपर आयुक्त अपने स्थानान्तरण की दशा में सिमकार्ड प्रतिस्थानी को लिखित रूप में हस्तान्तरित करायेगें, प्रतिस्थानी के उपलब्ध न रहने की दशा में वे इसे मण्डलायुक्त को लिखित रूप से हस्तान्तरित करायेगें।

10– सेवानिवृत्ति, पद त्याग या प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा में सिमकार्ड तत्काल प्रतिस्थानी/वरिष्ठ अधिकारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगें। तदपरान्त ही अदेयता प्रमाण–पत्र जारी किये जायेगें।

G O/Ramraj ji

11— प्रत्येक प्रयोक्ता अपने मोबाइल को हमेशा 'आन' ही रखेंगें, बन्द नहीं रखेंगें।

12— सिमकार्ड को राजकीय सम्पत्ति की सूची में दर्ज किया जायेगा।

13— प्रत्येक प्रयोक्ता (user) सिमकार्ड की जिम्मेदारी के साथ सम्भाल कर रखेगा, क्योंकि यह राजकीय सम्पत्ति है।

14— प्रयोक्ता सिमकार्ड के गुम हो जाने की दशा में गुमशुदगी की रिपोर्ट निकटतम थाने में दर्ज करायेगा और दूसरा सिमकार्ड जारी किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर राहत आयुक्त कार्यालय से नया सिमकार्ड प्राप्त करेगा।

उपरोक्त समस्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(जी0के0टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या— (1)/1—11—2008— पि0न0—114/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
2— प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी।
3— प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
5— पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6— अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
7— महाप्रबंधक मोबाइल सेवा, बी0एस0एन0एल0, लखनऊ।
8— राज्य परियोजना अधिकारी, आपदा प्रबन्धन परियोजना, लखनऊ।
9— निदेशक, मौसम, लखनऊ।
10— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0के0टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।